

142

मध्य प्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग  
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004  
८८८८८८८

-:: आदेश ::-  
८८८८८८८

भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 98

क्रमांक स्फ 1-179/94/20-1 - राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है।  
दिनांक 01-1-98 से सहायक शिक्षकों, शिक्षकों, एवं व्याख्याताओं के सीधी भर्तियों  
के पदों पर सामान्य नियुक्ति, अनुसूचित नियुक्ति अथवा विशेष नियुक्ति नहीं  
की जायेगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

श्री आ. विठ्ठलमूर्ति  
जवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग  
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी, 1998

पुं०क्र०स्फ 1-179/94/20-1

प्रतिलिपि:-

- १११ प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग.
- १२१ प्रमुख सचिव, म०प्र०शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
- १३१ आधुक्त, लोक शिक्षण, म०प्र०शासन.
- १४१ समस्त अभिगायुक्त म०प्र०
- १५१ समस्त कलेक्टर, म०प्र०
- १६१ समस्त, मुख्यकार्यपालक अधिकारी, नगरीय निकाय म०प्र०
- १७१ समस्त, मुख्यकार्यपालक अधिकारी जिला जनसंघ प्रभाग म०प्र०
- १८१ समस्त, अधुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म०प्र०
- १९१ समस्त उप संचालक, शिक्षा विभाग
- ११०१ जवर सचिव, म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग स्फ-१२१/१५१

को जोर सूचनार्थ तथा आवश्यक का वाहो प्रेषित

श्री आ. विठ्ठलमूर्ति  
जवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

राकेश केXXX